उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मुटेशन रिविजन नं0-14/2023-24

नित्यानंद मंडल एवं अन्य

बनाम्

सावित्री देवी

-: आदेश :-

दिनांक 3/9/24

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता नित्यानंद मंडल वो दयानंद मंडल, पे0-बादल उर्फ चन्दर प्रसाद मंडल, सा0-मछिया सिमरडा, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0-15/2022-23 के आदेश दिनांक-03.06.2023, जिसके द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नं0-19/2009-10 में दिनांक -11.12.2009 के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया है, के विरूद्ध रिविजन आवेदन दायर किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी मो0 सावित्री देवी ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मौजा-पंचकाठी नं0-363, जमाबंदी सं0-21/1 के दाग नं0-21, 22, 81, 85, 87, 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत कुल रकवा 07-00-00 धुर जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए वाद दायर किया था, जिसमें उत्तरवादी ने दावा किया था कि उक्त जमीन उनकी माता बरसी ने टाईटल(पी0) सुट नं0-15/1956 से प्राप्त किया है एवं वे उसपर लगातार दखलकार है। आवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0-19/2009 प्रारम्भ किया गया एवं संबंधित कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी को यह जानकारी थी कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत के दाग नं0-22 के अंदर रकवा 01-00-00 धुर जमीन पर रिविजनकर्त्ता अपने पिता के समय से लगातार दखलकार है एवं उक्त जमीन रिविजनकर्त्ता को पारिवारिक बँटवारानामा दस्तावेज सं0-1355/1982 से प्राप्त है। चूँकि उक्त निबंधित पारिवारिक बँटवारानामा दस्तावेज मो0 बरसी एवं उनकी पुत्री सावित्री देवी (उत्तरवादी), उनके पुत्र मृत्युंजय मंडल वो विजय कृष्ण मंडल-प्रथम पक्ष और नित्यानंद मंडल वो दयानंद मंडल

(रिविजनकर्त्ता)–द्वितीय पक्ष द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था। लेकिन इसके वावजूद भी उत्तरवादी सावित्री देवी के द्वारा दाखिल खारिज वाद में रिविजनकर्त्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। आगे उनका कथन है कि उक्त दाखिल खारिज वाद में संबंधित कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया कि उत्तरवादी को उक्त जमीन रा0वि0 सं0 –45/1984–85 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जबकि रा0वि0 वाद सं0–45 /1984–85 भगवान महतो, जागेश्वर महतो, पे0–महावीर महतो, अशोक कुमार यादव, पे0–भागवत महतो, सा0–बोहरा, थाना–पोड़ैयाहाट बनाम् झकसू मंडल एवं चरितर मंडल, पे0–तौजी मंडल के नाम से दर्ज है एवं उक्त रा0वि0 भूमि बदलैन से संबंधित है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी के नाम से आवेदित सम्पूर्ण जमीन का दाखिल खारिज किया गया। उक्त दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद दायर किया गया एवं रिविजनकर्त्ता ने उक्त दाखिल खारिज वाद में तथ्य प्रस्तुत किया कि बरसी देवी के पिता विपत मंडल ने दो शादियाँ की थी। पहली पत्नि से कोदो मंडल एवं द्वितीय पत्नि से बरसी देवी हुई। कोदो मंडल एवं बरसी देवी के बीच टाईटल सूट नं0– 15/20/1956–57 दायर किया गया था। उक्त मामले के देखभाल करने के लिए बरसी देवी ने रिविजनकर्त्ता के पिता बादल उर्फ चन्द्र प्रसाद मंडल को केयर टेकर नियुक्त किया था। चूँकि रिविजनकर्त्ता एवं उत्तरवादी एक दूसरे से संबंधित है, जो दर्शाया गये वंशावली से स्पष्ट होगा :–

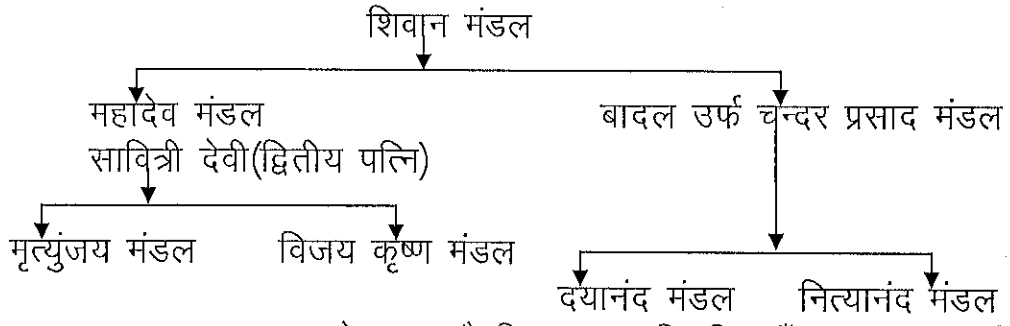

उनका आगे कथन है कि उक्त पारिवारिक बँटवारानामा बरसी एवं अन्य और रिविजनकर्त्ता के बीच जमीन के बदलैन के आधार पर किया गया है। उक्त बँटवारानामा के आधार पर रिविजनकर्त्ता रकवा 01–00–00 धुर जमीन पर लगातार दखलकार है एवं पारिवारिक बँटवारानामा निबंधित है तथा किसी सक्षम न्यायालय से रद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन पर विचार

करना चाहिए था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने गलत ढंग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का व्याख्या करते हुए रिविजनकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने बिहार रैयती जोत (अभिलेखों का संधारण) अधिनियम 1973 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किये बिना ही उत्तरवादी के नाम से जमीन का नामांतरण किया है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के आदेश को निरस्त करते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिविजनकर्त्ता का मामला यह है कि उनके पिता बादल मंडल उर्फ चंदर मंडल ने पारिवारिक बँटवारानामा दस्तावेज सं0–1355 वर्ष 1982 (कोई तिथि अंकित नहीं है), के आधार पर मौजा–पंचकाठी के जमाबंदी सं0–21, दाग नं0–22 के अंदर रकवा 01–00–00 धुर जमीन प्राप्त करने का दावा किया था, जिसमें प्रथम पक्ष उत्तरवादी एवं उनकी माता और द्वितीय पक्ष रिविजनकर्त्ता है। लेकिन उक्त दस्तावेज से ज्ञात होता है कि उक्त बादल मंडल उर्फ चंदर मंडल उनमें से एक गवाह मात्र थे। उसमें वे पक्षकार नहीं थे एवं उक्त बँटवारा दस्तावेज में न तो रकवा 01–00–00 धुर का विवरण अंकित किया गया है और न ही उक्त जमीन का चौहदी दर्ज किया गया है। उनका आगे कथन है कि पारिवारिक बँटवारा हमेशा सह हिस्सेदारों के बीच एवं बँटवारा बराबर होता है। लेकिन रिविजनकर्त्ता न तो सह हिस्सेदार थे एवं न ही बँटवारा बराबर किया गया है। बँटवारानामा दस्तावेज पर भी मो0 बरसी का हस्ताक्षर/टी0नि0 नहीं है। इसमें गहन जाँच की आवश्यकता है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता या उनके पिता, बरसी देवी या उत्तरवादी के परिवार से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार रिविजनकर्त्ता का दावा पूरी तरह से झूठा एवं काल्पनिक होने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने तर्कपूर्ण आदेश पारित करते हुए बँटवारानामा को वैद्य नहीं माना है। चूँकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने वास्तविक तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है एवं रिविजनकर्त्ता का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है एवं उत्तरवादी के नाम से नामांतरण भी पूरी तरह से वैद्य है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन स्वीकृत करने योग्य

नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद सं0–19/2009–10 के द्वारा मौजा–पंचकाठी थाना नं0–363, के जमाबंदी सं0–21/01 के दाग नं0–21, 22, 81, 85, 87, 88, 89 एवं 91 कुल रकवा 07–00–00 धुर जमीन का नामांतरण उत्तरवादी सावित्री देवी के नाम से किया गया है। उक्त नामांतरण आदेश में उल्लेख किया गया है कि नामांतरण हेतु रे0मिस0 केश नं0–45/1984–85 अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा श्रीमति सावित्री देवी पुत्री स्व0 मो0 बरसी जौजे बिपत मंडल, सा0–सिमरडा ने संबंधित जमीन प्राप्त किया है। जबकि रिविजनकर्त्ता की ओर से रा0वि0 सं0–45/1984–85, का जो कागजात दाखिल किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त रा0वि0 वाद भागवत महतो बनाम् झकसू महतो, बोहरा थाना–पोड़ैयाहाट से संबंधित है और उक्त वाद भूमि बदलैन से संबंधित है एवं रिविजन वादगत जमीन से उक्त वाद का कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है। वर्तमान रिविजन वाद में भी रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–22 के अंदर रकवा 01–00–00 धुर जमीन निबंधित बँटवारा दस्तावेज सं0–1355 दिनांक–10.04.1982 के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं अपने दावा के समर्थन में दस्तावेज का प्रति भी दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि उक्त निबंधन दस्तावेज जमीन बदलेन के आधार पर किया गया है एवं उक्त जमीन लगातार उनके दखल कब्जा में चला आ रहा है। रिविजनकर्त्ता ने अपने दावा के समर्थन में अंचल अधिकारी, गोड्डा का जाँच प्रतिवेदन का प्रति दाखिल किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त रकवा 01–00–00 धुर जमीन पर रिविजनकर्त्ता का दखल कब्जा है। चूँकि मामला जमीन नामांतरण से संबंधित है एवं निम्न न्यायालय के द्वारा रा0वि0 वाद सं0–45/1984–85 के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के आदेश में उक्त जमीन रकवा 01–00–00 धुर जमीन के दखल कब्जा के संबंध में कही उल्लेख नहीं है। निम्न न्यायालय को उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0—15/2022—23 में दिनांक—03.06.2023 के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:25:48 +05:30
Location: 192.168.1.33